

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(49)WE/IEC/ICDS/2015/

98827 - 859

जयपुर दिनांक :


4/6/18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषय:—मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के मध्य अन्तर को कम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के मध्य अन्तर को कम करने हेतु व्यापक प्रयास किये जाये। ग्राम/ग्राम पंचायतवार ड्यू लिस्ट चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त कर आंगनबाड़ी स्तर पर विभागीय मानदेय कर्मियों को उपलब्ध करवाई जाकर द्वितीय किस्त के भुगतान न होने के कारणों का पता लगाया जाकर उनका निराकरण करने हेतु यथासम्भव समाधान किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों/महिला पर्यवेक्षकों/मानदेय कर्मियों को समुचित दिशा निर्देश प्रदान करावें।

न्याय आपके द्वार शिविर-2018 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी/सहायिका/ए.एन.एम. के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत में हितग्राही महिला से भामाशाह कार्ड का विवरण प्राप्त कर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि को उपलब्ध करावें, ताकि हितग्राही को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के समस्त लाभ समय पर प्रदान किये जा सकें।


अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(49)WE/IEC/ICDS/2015/


98860 - 99166

जयपुर दिनांक :

4/6/18

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 86994 दिनांक 15.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त
3. एसीपी (उप निदेशक) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर